International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 6, June- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. अम्बेडकर का योगदान

युगेश कुमार
एम. ए. , (इतिहास)
e-mail : vijaybharat2011y@gmail.com

भूमिका

भारतीय संविधान निर्माण में बावा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर कि भूमिका अत्यत ही महत्वपूर्ण है। इनकी योगदानों में संविधान निर्माण का योगदान अतिमहत्वपूर्ण है। इनके द्वारा संविधान का Drafting करके संविधान सभा में रखे प्रावधान से उत्पन्न प्रश्नों को लेकर जो उन्होंने अपना तर्क और विचार रखा उससे यह माना जाता है कि संविधान सभा नें जो भारतीय संविधान का निर्माण किया है वह एक तरह का सहमति द्वारा क्रान्ति (Revolution by consent) है। संविधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों में से अनेक विभूतियाँ तथा विभिन्न दलों/समूहों के प्रमुख नेता थे, जैसे नेहरू (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस), जग–जीवन राम (अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ), अम्बेडकर (अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ), हंसा मेहता (अखिल भारतीय महिला सम्मेलन), महाराजा दरभंगा (अखिल भारतीय जमींदार संघ), श्यामा प्रसाद मुखर्जी (अखिल भारतीय हिन्दू महासभा) तथा फ्रेंक एण्टनी (आंग्ल–भारतीय) आदि संविधान सभा में विद्यमान थे।

उल्लेखनीय है कि सुविधा की दृष्टि से संविधान सभा ने विभिन्न पक्षों पर विचार करने के लिए कुल 26 समितियों की नियुक्ति की गई थी। जिसमें कि अनेक समितियों के अध्यक्ष या तो पं. नेहरू थे या सरदार पटेल। संविधान निर्माण में इन दोनों महारथियों का प्रमुख हाथ रहा। **ग्रेनविल ऑस्टिन** के शब्दों में **''अनेक आदर्शवादी और व्यावहारिक तथा प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रकृति की धाराओं का समावेश बहुत कुछ इन दोनों विभूतियों के संयुक्त प्रभाव का फल था'।** वस्तुतः नेहरू, पटेल, आजाद (अबुल कलाम) तथा राजेन्द्र प्रसाद की स्थिति संविधान सभा में 'आभासी अल्पतंत्र' (Virtual oligarchy) की थी। इन चार व्यक्तियों के अतिरिक्त के .एम. मुंशी, अल्लादि कृष्ण–स्वामी अय्यर, गोपालास्वामी आयंगर, टी. टी. कृष्णमाचारी, के. टी. शाह, हृदयनाथ कुंजरू आदि की भी संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका रही।

संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee of Constituent Assembly)

संविधान सभा द्वारा गठित सभी समितियों में 29 अगस्त, 1947 को गठित प्रारूप समिति (Drafting Committee) सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इसकी अध्यक्षता **डॉ. भीमराव अम्बेडकर** को सौंपी गई।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 6, June- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

इसके अन्य सदस्य थेः–

1. एन. गोपालस्वामी आयंगर
2. अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर
3. के. एम. मुंशी
4. मोहम्मद सादुल्ला
5. बी. एल. मित्तर (थोड़े ही दिनों बाद इनके स्थान पर एम. माधवराव को सदस्य बनाया गया।)
6. डी. पी. खेतान (1948 में इनकी मृत्यु के उपरांत टी. टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया।)

डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने महान् कार्य किया। संविधान सभा में प्रारूप प्रस्तावों के समर्थन में दिए गए भाषणों एवं तर्को के कारण डॉ. अम्बेडकर, जिनके प्रयासों से संविधान के अनुच्छेदों ने अंतिम रूप ग्रहण किया, को **'संविधान के जनक'** (Father of the Constitution) के रूप में स्मरण किया जाता है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के मन्तव्यों को प्रस्तुत करते समय अम्बेडकर ने एक महान् संवैधानिक अधिवक्ता (Constitutional Lawyer) की भूमिका का निर्वाह किया। एक बार तो अम्बेडकर ने संविधान सभा के एक अन्य सदस्य डॉ महावीर त्यागी को लताड़ते हुए कहा कि **'' इस सभा में मैं कानूनी मुद्दे नहीं समझा सकता. यह सभा कानून की कक्षा नहीं है और इस प्रकार की व्याख्या देने में भी मैं असमर्थ हूँ।''** डॉ अम्बेडकर के विधिसम्मत आधिपत्य के कारण प्रारूप समिति इतनी शक्तिशाली हो गई कि सभा इसके समक्ष कमजोर पड़ गई। के. वी. राव के शब्दों में, **''प्रारूप समिति अपने को प्रवर समिति व विशेषज्ञ दोनों समझती थी। इससे भी अधिक वह अपने को 'एक कार्यपालिका', 'एक कैबिनेट' समझती थी जिसका कार्य पूर्व निर्णीत विधेयकों को प्रस्तुत करना और उनमें सुविधानुसार परिवर्तन करना था। डॉ. अम्बेडकार ने संविधान के प्रति ऐसा व्यवहार किया मानों वे अपनी विशेष कक्षा के ऐसे शिक्षक हों जहाँ विद्यार्थियों को सोचने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, परन्तु शिक्षक के शब्द अन्तिम आदेश हों।''**

संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने प्रारूप समिति, विशेष रूप से इसके अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर, के प्रभुत्वकारी व्यवहार (Bossist behaviour) पर अनेक बार रोष व्यक्त किया गया। सभा के अधिकांश सदस्य इस बात को लेकर भी रूष्ट थे कि प्रारूप के अनुच्छेद बिना किसी उचित क्रम के विचार के लिए प्रस्तुत कर दिए जाते थे और कभी–कभी दूसरे–तीसरे वाचन के दौरान मूल निर्णय में भी संशोधन कर दिए जाते थे। संविधान सभा में एक सदस्य ने तो यहाँ तक टिप्पणी की कि **''प्रारूप समिति (Drafting Committee) वास्तव में ढुलमुल समिति (Drifting Committee) हो गई है।''**

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 6, June- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

डॉ. अम्बेडकर और संविधान का निर्माण
(Dr. Ambedkar and Making of the Constitution)

आलोचकों की यह सामान्य धारणा है कि संविधान के निर्माण में सर्वाधिक प्रखर भूमिका कांग्रेस के एक छोटे से समुह की रही। जिसमें नेहरू, पटेल, राजेन्द्र प्रसाद तथा मौलाना आजाद जैसे नेता सम्मिलित थे इसे ऑस्टिन ने **'कांग्रेंसी स्वल्पतत्र'** (Congress oligarchy) की संज्ञा दी है। ये लोग पहले कहीं अन्यत्र बैठकर निर्णय ले लेते थे और तदोपरान्त प्रारूप समिति को उसे लिपिबद्ध करने का आदेश दे देते थे। यहाँ तक कि स्वयं अम्बेडकर ने भी एक स्थान पर स्वीकार किया कि ''निर्णयों के लिए उन्हें अन्यत्र जाना पड़ता है और इसके बाद ही वे सदन में आते है।'' डॉ. अम्बेडकर एक गैर–कांग्रेसी व्यक्ति थे और वास्तविक निर्णय लेने वाले सत्ता समूह में उनका कोई स्थान नहीं था। परन्तु इस महान् संविधान विशेषज्ञ की वास्तविक भूमिका कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं की इच्छाओं को संविधान के प्रारूप मे मूर्त रूप देने तथा सदन में अपने अकाट्य तर्कों से 'प्रारूप समिति के प्रस्तावों को रक्षित करने की अद्वितीय क्षमता एवं सामर्थ्य में देखा जाना चाहिए।

संविधान सभा में इस बात को लेकर पर्याप्त विवाद हुआ कि संविधान की प्रस्तावना में 'हम भारत के लोग(We, the people of inida) वाक्यांश का प्रयोग उपयुक्त है अथवा नहीं। **एन. एन. शाह** का मत था कि इन शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। क्योंकि संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई है। इस पर विशिष्ट समिति का यह सुझाव था कि 'भारत के लोग' शब्द का अर्थ भारत की जनता से है, इस पर एक और सदस्य **पूर्णिमा बनर्जी** ने यह प्रस्ताव रखा कि इस बात का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाए कि सम्प्रभुता जनता में निहित है। **पूर्णिमा बनर्जी** के इस संशोधन प्रस्ताव का महावीर त्यागी द्वारा जोरदार समर्थन किया गया। अंततः **डॉ. अम्बेदकर** ने यह व्याख्यायित किया कि **''प्रस्तावना इस बात को भलीभाँति अभिव्यक्त कर देती है कि सम्प्रभुता भारत की जनता में निहित है और संविधान सभा इसको सम्पूर्ण भारत की जनता की ओर से ही घोषित कर रही है। यद्यपि संविधान सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक प्रतिनिधि संस्था है।''** सभा में अंततः डॉ. अम्बेडकर का तर्क ही मान्य हुआ और पूर्णिमा बनर्जी का तर्क अस्वीकार कर दिया गया।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक होते हुए भी अम्बेडकर के कानूनी मस्तिष्क में राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति का प्रश्न सर्वोपरि रहा। संविधान सभा में निवारक निरोध (Preventive Detention) से सम्बन्धित उपबन्धों पर विस्तार से चर्चा हुई। अनेक सदस्यों ने इसकी कड़ी आलोचना की। **बख्शी टेकचन्द** ने इसे 'निरंकुशता का प्रपत्र' (A Charter of Despotism) कहा। डॉ. अम्बेडकर ने इसके पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि **'' यह स्वीकार करना पड़ेगा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वाले तथा देश की रक्षा सेवाओं (Defence Services) में गड़बड़ी फैलाने वाले व्यक्तियों**

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 6, June- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

का विरोध करना कार्यपालिका के लिए आवश्यक हो सकता है। मैं समझता हुँ कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वातंत्र्य को राज्य के हितों पर वरीयता नहीं प्रदान की जा सकती।''

धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट था। संविधान सभा में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर गर्मागर्म बहस हुई। संविधान सभा कि कुछ सदस्यों ने यह तर्क दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता की प्रत्याभूति और धर्म–निरपेक्ष राज्य की धारणा–ये दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। परन्तु डॉ. अम्बेडकर ने अपनी सूझ–बूझ और तर्कपूर्ण शैली से इस तर्क को निरस्त कर दिया। डॉ. अम्बेडकर ने अपना दृष्टिकोण व्याख्यायित करते हुए कहा है कि **''धर्मनिरपेक्ष राज्य का यह अर्थ नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं की ओर ध्यान नहीं देगें। इसका अर्थ केवल इतना है कि यह संसद देश के लोगों पर कोई विशेष धर्म लादने का अधिकार नहीं रखती। यही एक परिसीमा (Limitation) संविधान स्वीकार करता है''।**

डॉ. अम्बेडकर–संविधान के पिता के रूप में
(Dr. Ambedkar-as Father of the Comstitution)

सामान्यतया यह निर्विवाद है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को लिपिबद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। परन्तु इस बारे में विवाद है कि उन्हें 'संविधान का पिता' माना जाए अथवा नहीं ? आलोचकों का मत है कि संविधान–निर्माण की पूरी प्रक्रिया में नेहरू एवं पटेल जैसे कांग्रेसी नेता हावी रहे। स्वयं अम्बेडकर के शब्दों में ''मैं तो केवल किराए का टट्टू था। मैंने वही किया जो मुझसे करने को कहा गया। मैने केवल बहुमत की इच्छाओं का पालन किया है।'' संविधान निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया में कॉग्रेस की महत्वपूर्ण भुमिका को भी अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। उनके शब्दों में, **''संविधान सभा का कार्य अत्यन्त दुष्कर हो जाता यदि यह मात्र बिखरी भीड़ का जमघट होती या बिना सीमेन्ट के बना रंग–बिरंगा फर्श होता जिसमें एक सफेद पत्थर यहाँ और एक काला पत्थर वहाँ होता। तब शायद अराजकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं हेाता । इस अराजकता की सम्भावना को सभा के भीतर कांग्रेसी दल की उपस्थिति ने समाप्त कर दिया।''**

प्रो. के. वी. राव इस मत से सहमत नहीं हैं कि अम्बेडकर को 'संविधान का पिता' माना जाए। उनके शब्दों में, ''..... **संविधान के अध्ययन से मेरा यह निष्कर्ष है कि डॉ. अम्बेडकर को संविधान का जनक मानना अनुचित होगा। यदि कोई व्यक्ति इसके अधिकारी हैं तो वे नेहरू और पटेल हैं, लेकिन मैं उन्हें पीठासीन देवता ही कहना चाहूँगा, क्योंकि वे संविधान के सभी विचारों के स्रोत व संविधान के वास्तविक निर्माता थे। उन्हें या प्रारूप समिति को पितृत्व का अधिकारी माना जा सकता है। मै डॉ. अम्बेडकर को इससे अलग रखना चाहूँगा। सही अर्थ में हम डॉ. को 'संविधान की जननी' (Mother fo the Constitution) कह सकते है। मैं यह शब्द किसी दुर्भावना या परिहास के रूप में नहीं**

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 6, June- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

कर रहा हूँ। वास्तव में डॉ. अम्बेडकर ने दूसरे के विचारों को लिया, उन्हें पोषित किया और अन्ततः उन्हें जन्म दिया जैसे कि सभी कुछ उनका हो, किन्तु यह सब उन्होंने बहुत प्रशंसनीय ढंग से किया।''

हम डॉ. अम्बेडकर को 'संविधान का पिता' मानें या 'जननी' यह तथ्य निर्विवाद है कि संविधान सभा द्वारा जिस संविधान का निर्माण किया गया उसमें अम्बेडकर की बहुआयामी भूमिका थी। एस. के. चौबे के शब्दों में. ''..... **एक विधि विशेषज्ञ, अथक परिश्रमी, उत्कृष्ट कौशल के धनी व उदारवादी, परन्तु सुदृढ़ व्यक्ति के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया''।**

संदर्भित सूची :–

(1) नागोरी, एस. एल. (डॉ) – आधुनिक भारत।
– भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन।
– भारत के स्वतंत्रता सेनानी।
(2) परमात्मा शरण – भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन।
(3) पायली, एम. वी. –भारतीय संविधान।

(4) भटनागर, अशोक – डॉ. अम्बेदकर :– एक चितंक।
(5) ताराचन्द (डॉ) – भारतीय स्वंतत्रता आन्दोलन का इतिहास, खण्ड 1–4
(6) बोस, एस0. के0. – आधुनिक भारत के निर्माता।
(7) सीकरी, एम. एल. – ए कॉन्स्टट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया।